आई एल आर पंजाब और हरियाणा (1993) 1 (312-315)

समक्ष: एस. सोढ़ी, ए.सी.जे., एन.के. सोढ़ी और आर.के. नेहरू, माननीय न्यायमूर्ति

धरम बीर सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- उत्तरदाता।

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 4395।

12 नवंबर 1992.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226 तदर्थ / अंतरकालीन नियुक्तियां–याचिकाकर्ता को 45 दिनों की छोटी अवधि के लिए नियुक्त किया गया–सरकार नई नियुक्तियां करने का निर्णय ले रही–'अंतिम जाओ पहले आओ' के सिद्धांत पर ऐसी नियुक्तियों का अधिकार–असमर्थनीय–याचिकाकर्ता को कोई निहित अधिकार अर्जित नहीं होता कि वो नियमित नियुक्तियों तक सेवा में बने रहे या ऐसी नियुक्तियों के लिए उनके नाम पर विचार हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य सिद्धांतों पर भी ऐसा कोई कानून, नियम या निर्देश नहीं है जो यह बताता हो कि जब एक बार किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, चाहे वह अंतरकालीन तदर्थ व्यवस्था पर हो, वह नियुक्ति के लिए या उसके बाद की गई नियुक्ति के लिए (यदि भविष्य में इसी तरह की कोई रिक्ति उत्पन्न होती है) ऐसा निहित अधिकार प्राप्त करता है कि उसके नाम पर चर्चा हो । ऐसा प्रस्ताव कानून की दृष्टि से पूरी तरह से असमर्थनीय होगा और इसकी मुखाकृति नही की जा सकती । इसलिए, याचिकाकर्ता दावा की गई राहत के हकदार नहीं हैं।

(पैरा 5)

जगदीश सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 1990 की सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 3674 का निर्णय 5 अप्रैल 1990 को हुआ। (पंजाब और हरियाणा)।

(ख़ारिज)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय कृपा करें: -

(i) मामले का रिकॉर्ड मंगवाए;

(ii) उत्तरदाताओं को परमादेश की रिट के माध्यम से निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को उन पदों पर संस्कृत शिक्षक के रूप में सेवा जारी रखने की अनुमति दें, जिन पर उन्हें नियुक्ति आदेश, अनुलग्नक पी-1 से पी-3 द्वारा नियुक्त किया गया था और उन्हें तब से निरंतर रोजगार में माना जाए।

(iii) इस रिट याचिका के निर्णय तक, उत्तरदाता संख्या 3 और 4 को याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके संबंधित स्कूलों में पदों को भरने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करें और याचिकाकर्ता को इस तरह जारी रखने की अनुमति दें। याचिकाकर्ताओं को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ अपने कर्तव्यों को जारी रखने की अनुमति देने के लिए उत्तरदाताओं 3 और 4 को निर्देश दे।

(iv) याचिकाकर्ताओं को 6 फरवरी, 1990 से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से नियमित नियुक्ति की सिफारिश होने तक निरंतर सेवा में घोषित करने के लिए।

(v) मामले में कोई अन्य उचित रिट, निर्देश या आदेश जारी करें।

(vi) उत्तरदाताओं को प्रस्ताव के नोटिस की पूर्व सेवा से छूट दें क्योंकि यदि उसी पर जोर दिया जाता है, तो रिट याचिका का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

(vii) अनुबंध के रूप में संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट।

(viii) याचिकाकर्ताओं को इस रिट याचिका की लागत।

(यह मामला 24 मई, 1990 को माननीय न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी और माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. गर्ग की खंडपीठ द्वारा बड़ी बेंच को भेजा गया था क्योंकि माननीय न्यायमूर्तियों का मानना था कि जो मामला जगदीश सिंह के मुकदमे में डिवीजन पीठ द्वारा उठाया और निपटाया गया था वह सार्वजनिक महत्व का है और यह निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार के योग्य है। बड़ी पीठ में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. सोढ़ी, माननीय न्यायमूर्ति एन.के. सोढ़ी और माननीय न्यायमूर्ति आर.के. नेहरू ने 12 नवंबर, 1992 को मामले का फैसला किया)।

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री चंदर सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए श्री आर. सी. सेतिया, अतिरिक्त. ए.जी. हरियाणा।

निर्णय

एस.एस. सोढ़ी, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

क्या 45 दिन या उससे कम समय के लिए शिक्षकों की तदर्थ या अंतरकालीन नियुक्ति सरकार का कर्तव्य बांधती है कि अगर वह इसके और पदोन्नति के अलावा नई नियुक्ति करने का निर्णय लेती है या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नियुक्ती करते है तो क्या 'अंतिम जाओ पहले आओ' के सिद्धांत पर ऐसे शिक्षकों पर पहले विचार करके इन्हे वापस लिया जाए? *जगदीश सिंह बनाम हरियाणा राज्य*[1] में डिवीजन पीठ ने यही कहा था। इस निर्णय पर पुनर्विचार ही वर्तमान संदर्भ का कारण बना है।

(2) *जगदीश सिंह के मामले* में, याचिकाकर्ताओं को 27 मार्च 1990 को समाप्त होने वाली निश्चित अवधि के लिए फरवरी, 1990 में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं की यह

[1] 1990 की सी डब्ल्यू पी संख्या 3674 जिसे 5 अप्रैल, 1990 को निर्धारित किया गया।

नियुक्ति अंतरकालीन व्यवस्था के रूप में पूरी तरह से तदर्थ आधार पर थी। उनकी सेवाएँ समाप्त होने से पहले, उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रार्थना की कि उन्हें तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए जब तक कि उनके द्वारा धारित पदों पर पदोन्नति या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती। *पियारा सिंह बनाम हरियाणा राज्य*[2] में इस न्यायालय के फैसले पर ज़ोर देते हुए, यह माना गया था, "याचिकाकर्ताओं को सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिलता है, सिवाय इसके कि अगर राज्य सरकार रोजगार के माध्यम से नए व्यक्तियों की नियुक्ति करना चाहती है, विनिमय या बाहर से, बोर्ड से अनुशंसित लोगों के अलावा या पदोन्नति के अलावा, जो कि विचाराधीन पदों पर नियुक्तियों के लिए दो स्रोत हैं, उसे पहले याचिकाकर्ताओं को लेना होगा।" परिणामस्वरूप राज्य सरकार को स्पष्ट संकेत देते हुए रिट याचिका खारिज कर दी गई "कि यदि वह पदोन्नति के अलावा या बोर्ड के माध्यम से कोई नियुक्ति करना चाहती है, तो याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठता के क्रम में पहले बुलाया जाना होगा - 'आखिरी जाओ पहले आओ'।"

(3) वर्तमान मामले में भी ऐसी ही तथ्यात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। यहां याचिकाकर्ताओं को फरवरी, 1990 में संस्कृत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह एक निश्चित अवधि की नियुक्ति थी, जो 15 मार्च, 1990 को समाप्त हो रही थी। *जगदीश सिंह के मामले* में न्यायिक मिसाल पर ज़ोर देते हुए, वे एक निर्देश चाहते हैं कि उत्तरदाताओं को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नियमित नियुक्तियाँ होने तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए।

(4) इस मामले से निपटने में, सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि *पियारा सिंह के मामले* में इस न्यायालय के फैसले को *हरियाणा राज्य और अन्य बनाम पियारा सिंह*[3] मामले

---

[2] 1988 (4) एस.एल.आर. 739

[3] 1992 (4) एस.एल.आर. 770

में सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ऐसा होने पर, फैसले की बुनियाद जो कि *जगदीश सिंह के मामले पर निर्धारित है, ध्वस्त हो जाती है*।

(5) सामान्य सिद्धांतों पर भी, ऐसा कोई कानून, नियम या निर्देश नहीं है जो यह बताता हो कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, चाहे वह अंतरकालीन या तदर्थ व्यवस्था पर हो, वह एक निहित अधिकार प्राप्त करता है कि यदि भविष्य में इसी प्रकार की कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो नियुक्ति के लिए उसके नाम पर विचार किया जाए या उसे चुना जाए।। ऐसा प्रस्ताव कानून की दृष्टि से पूरी तरह से असमर्थनीय होगा।

(6) अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में *एस.के वर्मा और अन्य बनाम पंजाब राजय* [4] में कहा गया कि अस्थायी कर्मचारी का उपयोग सुविधाजनक रूप से किसी विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त पूर्णतया अस्थायी कर्मचारी के लिए किया जाता है और जिसकी सेवाएं अधिकतम मामले में समाप्त की जा सकती हैं। परिणामस्वरूप, यह माना गया, "सेवा कानून के दायरे में एक अस्थायी कर्मचारी वस्तुतः सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। स्थायी, अर्ध-स्थायी और अस्थायी कर्मचारी के विपरीत, तदर्थ कर्मचारी निम्नतम स्तर पर दिखाई देता है, जिसका अर्थ है कि उसे आकस्मिक रूप से, या छोटी अवधि या क्षणभंगुर उद्देश्यों के लिए अंतरकालीन व्यवस्था के लिए नियुक्त किया गया है।

(7) इस प्रकार अब कानून में स्थापित स्थिति होने के कारण, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि *जगदीश सिंह के मामले* में इस न्यायालय का निर्णय सही कानून नहीं दर्शाता है और परिणामस्वरूप, इसे खारिज कर दिया जाता है। इसलिए, इससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता दावा की गई राहत के हकदार नहीं हैं।

---

[4] ए आई आर 1979 पंजाब और हरियाणा 149

(8) परिणामस्वरूप यह रिट याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, इन परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा